राजस्थान सरकार

(न्य)ायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

(मु)कदमा संख्या :– 461/2023 प्रा0पत्र

1. भेरव S/o छीता गुर्जर नि0 गैंदपुरा-त0 करेड़ा
प्रार्थी

बनाम

1. देवालाल S/o रामा गुर्जर नि0 गैंदपुरा-त0 करेड़ा-भी0

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम गैंदपुरा........ पटवार हल्का मेघपुरकलां............ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त (खा)तों की खाता संख्या 36 आराजी नम्बर 872/285,

....

....

.... कुलकिता.....1...... रकबा 0.7588.................... हैक्टेयर भूमि (स्थि)त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन (सीमा) सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की (पत्थ)रगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/12/23............ को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को (अवल)ोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी (करान)े का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... गैंदपुरा (पैतृक) पटवार हल्का मेघपुरकलां............ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या (आ)राजी नम्बर........ 872/285,

....

....

....कुलकिता.....1......... रकबा 0.7588.................... हैक्टेयर भूमि (चा)रों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. करेड़ा...................को 500/-........./– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकिल हद्दबन्दी हेतु पत्थरगढी की जावें। फसल होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

(संलग्न)– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:56:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रतिल)िपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार (पत्थरग)ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा